संख्या–डी-581/38–2–2017–2(58)डी/2016

प्रेषक,

सहेदव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2017

विषयः– **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन के उपरान्त उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1281/स्था0–5/अभि0/2017, दिनांक 27–07–2017, जिसके द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन के उपरान्त उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के संबंध में 03 बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–डी–383/38–2–2016–2(17)डी/2006, दिनांक 18–07–2016 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ संविलियित किया गया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को "**डाईग कैडर**" घोषित करते हुये, नयी पेशंन योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वागामी तिथि से न दिये जाने के संबंध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं है तो उसे पूर्व की भॉति सोसाईटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा। उक्त शर्तो के अधीन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती के नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग–995 है, को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किया गया है। "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सहदेव) 4.12.2017

विशेष सचिव।

G.O. ramprakash

संख्या–डी-581 (1)/38–2–2017–तद्‌दिनॉक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(3) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,उ0प्र0।
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

G.O. ramprakash